



STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF:

Higher Authority Decision No.

दावेदार नियोक्ता

ATTN:

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड (बोर्ड) के सामने (दावेदार के) (नियोक्ता) के द्वारा अपील लेबल संख्या----- के तहत अपील निर्णायक द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। अभिलेख में सबूतों की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

[NOTE to Legal Assistant or typist : अतिरिक्त 3 दिन अधिनिर्णायक द्वारा निर्धारित करने के लिए लागू नहीं होते। मेलिंग की तारीख से 30 दिन बाद अपील के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।]

रोजगार सुरक्षा कानून बताता है कि अधिनिर्णायक के निर्णय को विभाग का अंतिम निर्णय समझा जाएगा, जब तक कि निष्कर्ष की अधिसूचना की तिथि से या मेलिंग की तिथि से तीस(30) दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, एक लिखित अपील दाखिल नहीं की जाती है। N.C. Gen. Stat. § 96-15(b)(2) अधिनिर्णायक के निर्धारण को लेबल संख्या----- पर मेल कर दिया गया था। निर्णय पर अपील का अधिकार 30 दिन बाद -----समाप्त हो जाता है। N.C. Gen. Stat. § 96-15(b)(2)। जब किसी भी समय का अंतिम दिन शनिवार, रविवार या कानूनी राजकीय छुट्टी है, तो यह समय अगले कारोबारी दिन तक बढ़ा दी जाती है। इस मामले में (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील अवधि समाप्त हो गई, जो (शनिवार, रविवार या कानूनी राजकीय छुट्टी) (शनिवार, रविवार या कानूनी राजकीय छुट्टी नहीं थी, इसलिए अवधि बढ़ाई नहीं गई थी)। इस मामले में, अपील के अधिकार समाप्त होने के -----दिनों बाद निर्धारण पर अपील दर्ज की गई थी।

Higher Authority Decision No.

चार पृष्ठों में से दूसरा

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए परतिसपधार्तमक दावों के मामले में अंतिम लक्ष्य खोजक के रूप में, बोडर ने निषकर्ष निकाला है कि अपील की समयसीमा के मुद्दों पर अपील करने वालों तथय सक्षम परमाणों पर आधारित थे और उन्हें निमन संशोधन(नों) के साथ अपना लिया गया है।

अपील की समयसीमा के मुद्दे के संबंध में अपील के निणारयकों के द्वारा निकाले गए निषकर्षों को अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि अपील निणारयक (दावेदार) (नियोकता) की समयानुसार अपील जमा करने में असफलता के विषय में 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में

परिभाषित “अच्छा कारण” की परिभाषा को ठीक से लागू करने में विफल रहे हैं। “अच्छा कारण” का अथर यथोचित परिशरम केअभ्यास में कानूनी रूप से आवश्यक कायर में विफल रहने के लिए कानूनी रूप से पर्यार्प्त कारण होने चाहिए। “यथोचित परिशरम” का का अथर है सावधानी या बचाव,

विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत एक उचित और विवेकपूर्ण वयिकत द्वारा सावधानी और अच्छा निणारय अपेक्षित, और कायान्वन में। 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(21)

जब(दावेदार) (नियोकता) ने-----पर जोर दिया, (दावेदार) (नियोकता) कानूनी रूप से आवश्यक समयबद्धता में असफल रहने के लिए अच्छा कारण, और जैसा कि निधाररण में रेखांकित किया गया है, दशारने में असफल रहे हैं। अपील निणारयक परापत और संशोधित किए गए तथयों पर रोजगार सुरक्षा कानून(N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को यथाथर रूप से और सही तरीके से लागू करने में असफल रहे, और परिणामसवरूप निणारय कानून व तथयों के अनुसार नहीं था। इसके फलसवरूप अपील निणारयक को (दावेदार) (नियोकता) को अपील की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह असामयिक थी।

पृथक्करणकेमुद्दे पर अपील निणारयक का निणारय **रद्द कर दिया** गया है।

अपील की समयबद्धता केमुद्दे पर अपील निणारयक का निणारय **उ टा कर दिया** गया है।
(दावेदार) (नियोकता) की निधाररण पर

अधिनिणारयक की लेबल संख्या-----केद्वारा विलंबित अपील को **अनुमति नहीं दी गई**।

अधिनिर्णायक की लेबल संख्या-----पर निर्धारण अंतिम है।

दावेदारों को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए **अयोग्य** घोषित किया गया।
अयोग्य नहीं घोषित किया गया

और बेरोजगारी बीमा के लाभों

का परारंभ परापत होगा।

समीक्षा समिति के सदस्य Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस फैसले से सहमत हैं।

यह है:

BOARD OF REVIEW

Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा, जब तक कि इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई

Higher Authority Decision No.

चार पृष्ठ म से तीसरा

हो। मेलिंग की तिथि इस निणरय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। हालांकि बोडर कानूनी सलाह परदान नहीं करता है, कृमया उचच पराधिकरण निणरय पर अपील करने के लिए संलगन पुसितका देखें। यह पुसितका पूरे राजय में सावरजनिक रोजगार कायारलयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलबध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर *अकसर पूंछे जाने वाले परशनों (FAQ)* के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामशर कर सकते हैं।

APPEAL RIGHTS FOR JUDICIAL REVIEW

अपीलकतार द्वारा उचच पराधिकरण के इस निणरय के खिलाफ अपील अपने निवास सथान या अपने मुखय वयापार सथल के क्षेत्र के उचचतम नयायालय के लिपिक के पास दजर की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी परांत में निवास नहीं करती या इसका मुखय वयापार सथल यहां के किसी परांत में नहीं है। तो अपील North Carolina के Wake County के उचचतम नयायालय के लिपिक या उततरी कैरोलीना के उस क्षेत्र के उचचतम नयायालय के लिपिक के पास दजर करवायी जाएगी,

जहां विवाद उतपनन हुआ था।

उचच पराधिकरण निणरय का यह निणरय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा, जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उचचतम नयायालय के पास नयायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उचचतम नयायालय के लिपिक के पास दजर किसी भी याचिका की परतियां रोजगार सुरक्षा ("विभाग") के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कायरवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की परतियां वयिकतगत सेवाओं या मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद परापत किए जाने की पराथरना की जानी चाहिए। उचचतम नयायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय परकिरआओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

NOTE: यदि आपको किसी अन्य पार्टी द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे, जब तक कि आप % (1) याचिका प्राप्त होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को सूचित नहीं कर देते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलब्धता के अनुसार हस्तक्षेप के लिए एक प्रस्ताव दर्ज करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंपनी से व्यक्तियों को शामिल करते हुए) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील के अंतरगत कार्य करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही के कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।**

Pursuant to 04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दस्तावेज केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएंगे। कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और परभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

30, जून या उसके बाद दजर किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी न्यायिक निणरय से परापत लाभों के पुनभुरगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरनिहित दावों के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ परापत कर रहे हैं या पहले से परापत कर चुके हैं और इस उच्च पराधिकरण निणरय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोग्य पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उच्च पराधिकरण निणरय से अधिक भुगतान तैयार

IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE

होने पर आपको विभाग के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के अतिरिक्त आप पर लागू होने वाले अन्य किसी दंड का भी निर्धारण करेगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त भुगतान के खिलाफ आप एक ही रास्ता चुन सकते हैं, जो उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तर कैरोलीना के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है। अपनी याचिका में आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोग्यता या पात्रता के लिए और/या (2) इस परिणामी निर्धारण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है।

Appeal Filed:

Decision Mailed: